न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 69/2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 23/09/2020

निर्णय दिनांक : 01/03/2021

1. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति अहीर, निवासी रामपुरा बाडिया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. बजरंगलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति अहीर, निवासी रामपुरा बाडिया, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र मोतीलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल
3. गेन्दी पुत्री लक्ष्मीनारायण
4. छगनलाल पुत्र गंगाराम
5. धन्नालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
6. नर्बदा पुत्री मोतीलाल
7. प्रभुदयाल पुत्र मोतीलाल
8. रामकुंवार पुत्र मोतीलाल
9. श्रवणलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण
10. सुन्दरदेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण
11. हनुमान पुत्र गंगाराम

समस्त जाति अहीर निवासीगण ग्राम रामपुरा बाडिया तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

12. रविन्द्र यादव पुत्र रामदेव
13. चेनसुख पुत्र रामदेव
14. संतोष पत्नी रविन्द्र
15. कमला पत्नी चैनसुख
16. शशांक पुत्र चेनसुख
17. रोहित पुत्र चैनसुख
18. मोहित पुत्र चैनसुख

समस्त जातियान अहीर निवासीगण बी–284, 285 महेश नगर, टोंक रोड, जयपुर, राज0।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

19.तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री हरीश कुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6, 9, 10 व 12 ल. 16

प्रतिवादी संख्या 19 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 01/03/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आरांजी जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खाता संख्या 132 के आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 0.5500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.6600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 224/1016 जो वाके ग्राम रामपुरा उर्फ वाडिया, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित हैं जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 की उक्त खातेदारी भूमि है, जो अविभाजित हे, सभी पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे हैं। पक्षकारान का एक ही जाव है, जिसके बीचों बीच आबादी भूमि है, जिनमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 ने मकानात बना रखे है एवं ढाणी नुमा जगह पर निवास कर रहे हैं। अप्रार्थीगण संख्या 12 लगायत 18 वर्तमानम में जयपुर में निवास करते हैं। आबादी भूमि में थोडी सी जगह 12 लगायत 18 की भी है, वर्षो पूर्व से वे जयपुर निवास करने लग गये है, जिससे सम्पूर्ण पर ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 11 का कब्जा हैं। अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 18 अभी हाल ही में दिनांक 18/09/2020 को एकराय होकर कुछ गुण्डे लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ल. 11 की जमीन पर आये एवं जबरदस्ती से अतिक्रमण करने का प्रयास करने लग गये, प्रार्थीगण ने ऐतराज किया तो अपनी उच्ची पहूँच व थाना तहसील में बडे अधिकारियों की जानकारी होने का फायदा

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) चूरू

उठाकर जबरदस्ती से विवादित आराजीयात पर कब्जा करने का प्रयास किया तथा प्रार्थीगण द्वारा पुलिस थाना जोबनेर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय दूदू के यहां भी इनके खिलाफ शिकायत की परन्तु अप्रार्थी सख्या 12 ल. 18 अभी तक भी उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। दिनांक 18/09/2020 को प्रार्थी अपनी भूमि की सार संभाल करने हेतु गया तो देखा कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर मौके पर मौजूद मिले एवं विवादित आराजीयात खुर्दबुर्द कर जबरन निवे खोदकर तारबन्दी कर खंभे गाडने की धमकी दी, जिससे प्रार्थी अपने हितों की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 में प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करें न प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करें, न विवादित आराजीयात पर नीवे खोदकर तारबन्दी करें, न खंभे गाडे, न खुर्दबुर्द करें न निर्माण करें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 09/12/2020 को अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10 द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। दिनांक 15/02/2021 को अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 ने बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात रंगीन फोटो ग्राफ कुल किता 19, फोटो प्रति जमाबन्दी संख्या 01 सम्वत 2073 से 2076, फोटो प्रति नक्शा ट्रेस आ.ख.न. 223, 224, 224/116 आदि का गहनता से अवलोकन किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

प्रथम दृष्ट्या मामला– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 132 की आराजी खसरा नम्बर 224, 223, 224/1016 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ वाडिया तह0 मौजमाबाद के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 11 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण ने अपने वाद व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में यह अंकित किया है कि "उक्त विवादित आराजी के बीचों बीच आबादी भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 11 के मकानात बने हुये है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 12 ल. 18 जबरन कब्जा करना चाहते है,इसलिये पाबन्द किया जावे।" वही अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 ने अपने जवाब में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने का निवेदन किया है, चूंकि अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी के बीचों बीच आबादी भूमि होना अंकित किया जा रहा है वही अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया जा रहा है कि आबादी भूमि खसरा नम्बर 223, 224, 224/1016 के बीचों–बीच नही होकर पृथक से दक्षिण दिशा में स्थित है जिसमें अप्रार्थी संख्या 12 ल. 16 के मकान बने हुये हैं इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने मकानात के रंगीन फोटो ग्राफ भी पेश किये है, चूकि न्यायालय के समक्ष अभी तक वास्तविक स्थिति सामने नही आयी है कि किस जगह प्रार्थीगण काबिज है एवं किस जगह अप्रार्थीगण काबिज है तथा आबादी भूमि किस जगह स्थित है, आदि तथ्यों की वास्तविक स्थिति मूल वाद के निस्तारण पर ही न्यायालय के समक्ष आ सकेगी, इसलिये वर्तमान स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता है, इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

सुविधा का सन्तुलन – यह कि पक्षकारान के मध्य कब्जे को लेकर विवाद प्रतीत होता है, कब्जे का प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निर्णय पर हो सकेगा। प्रार्थीगण द्वारा स्वंय भी अपने प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 3 के अन्त में यह स्वीकार किया गया है कि आबादी भूमि में थोडी सी जगह 12 लगायत 18 की भी है, जिससे यह साबित है कि आबादी भूमि में से अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 18 की भी आबादी भूमि है, तो जाहिर

सहायक कलक्टर
(कास्ट ...) दूदू

सी बात है कि अप्रार्थी संख्या 12 ल. 18 का भी मौके पर कब्जा है, लेकिन किस जगह काबिज है, इस प्रश्न का निर्धारण नही हो पाया है, इसलिये कानूनन प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगणको पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नही होता हैं, यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है, तो अप्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 के पक्ष में बनना पाये जाते है, फिर भी यदि अप्रार्थीगण को यदि पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 के पक्ष में प्रबल है, जिसको अप्रार्थी संख्या 3 ल. 6 व 9, 10, 12 ल. 16 ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 132 के आराजी खसरा नम्बर 224, 223, 224/1016 वाके ग्राम रामपुरा उर्फ वाडिया, तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
(फास्ट ट्रेक) दूदू (जयपुर)